

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

—: अधिसूचना :—

राँची

दिनांक :- 22/01/19

अधि.सं.-01/स्था.(मनोनयन)-08-08/2018-311/श्री कुमार अरविन्द, (आई.डी.-जे.-8178), कार्यपालक अभियंता, खरकई नहर प्रमंडल, आदित्यपुर को अपने कार्यों के अतिरिक्त विभागीय मंत्री कोषांग में कार्य करने हेतु प्रतिनियुक्त किया जाता है।

2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(प्रदीप कुमार गुप्ता)

सरकार के उप सचिव (प्र.)।

ज्ञापांक :- 311

राँची, दिनांक :- 22/01/19

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड राँची/ विभागीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची के आप्त सचिव/ अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ प्रधान सचिव, मंत्रीमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड राँची/ प्रधान सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड राँची/ प्रधान सचिव, मानव संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ सचिव, सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, झारखण्ड राँची/ प्रबंध निदेशक, झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लि., राँची/ प्रशासक, सुवर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना, आदित्यपुर, जमशेदपुर/ अभियंता प्रमुख-01, एवं 02, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ सभी संयुक्त सचिव/ सभी उप सचिव/ सभी अवर सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ सभी मुख्य अभियंता/ प्रबंध निदेश, झालको, राँची/ सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी/श्री कुमार अरविन्द, कार्यपालक अभियंता, खरकई नहर प्रमंडल, आदित्यपुर/ वेब इन्फॉर्मेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ प्रशाखा-01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 एवं 12 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(प्रदीप कुमार गुप्ता)

सरकार के उप सचिव (प्र.)।